बिहार सरकार

परिवहन विभाग

गया/मुजफ्फरपुर शहर को वायु प्रदूषण से बचाव हेतु परिवहन विभाग की बड़ी पहल

स्वच्छ ईन्धन चालित वाहन (CNG एवं बैट्री चालित वाहन) के परिचालन को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार में लागू की गई है बिहार स्वच्छ ईन्धन योजना, 2019 ।

पुराने डीजल एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों को नये सीएनजी / बैट्री चालित तिपहिया वाहनों से प्रतिस्थापित करने तथा पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन एवं व्यवसायिक मोटर कैब/ मैक्सीकैब में सीएनजी किट रिट्रोफिटमेंट पर राज्य सरकार अनुदान देगी ।

30.09.2023 की मध्य रात्रि से गया एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार के डीजल चालित ऑटो का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

पहले आओ– पहले पाओ के आधार पर मिलेगा लाभ

योजना का कार्यान्वय गया नगर निगम तथा मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत **"पहले आओ–पहले पाओ"** की नीति के अनुरूप दो वर्षों की अवधि में वर्षवार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जाएगा।

कौन ले सकते हैं इस योजना का लाभ

इस योजना के अंतर्गत डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों, मैक्सी कैब एवं मोटर कैब के ऐसे वाहन स्वामी, जिन्हें वर्तमान में गया नगर निगम तथा मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत परिचालन के लिए सक्षम प्राधिकार से परमिट प्राप्त हो तथा वह वैधता अवधि के अन्तर्गत हो।

राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में इस तरह से मिलेगा अनुदान

- 7 व्यक्तियों (चालक सहित) तक के बैठान क्षमता वाले डीजल एवं पेट्रोल चालित तिपहिया पैसेंजर/मालवाहक वाहन को नए सीएनजी चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 40 हजार रुपये एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।
- डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया पैसेंजर वाहन, जिसकी बैठान क्षमता 7 व्यक्तियों (चालक सहित) / मालवाहक वाहन तक की नए बैट्री चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 25 हजार रुपया एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।
- पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन, जिसकी बैठान क्षमता 7 व्यक्तियों (चालक सहित) तक है/ मालवाहक वाहन में सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेंट कराने पर 20 हजार रुपया एकमुश्त भुगतान दिया जाएगा।
- व्यवसायिक मोटर कैब तथा मैक्सी कैब में सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेंट कराने पर 20 हजार रुपए एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।

अनुदान लेने के लिए लाभुक को निम्नलिखित कागजात के साथ जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन करना होगा :–

- पुराने वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र।
- नए वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र।
- नए बैट्री चालित या नए सीएनजी चालित तिपहिया वाहन क्रय की स्थिति में पूर्व
- स्वीकृत परमिट प्रत्यर्पण का प्रमाण।
- पूर्व निर्गत परमिट पर नए सीएनजी चालित तिपहिया वाहन या बैट्री चालित तिपहिया
- वाहन के प्रतिस्थापन का प्रमाण।
- नए वाहन का वैध प्रमाण पत्र।
- रिट्रोफिटमेंट किट वाले वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र।
- लाभुक का आधार कार्ड।
- लाभुक के बैंक खाता की विवरणी।
- स्वघोषणा पत्र– पूर्व धारित वाहन का परिचालन गया नगर निगम एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में नहीं किया जाएगा।

आवेदन कहां जमा करें:–
जिला परिवहन कार्यालय गया/मुजफ्फरपुर।

PR No.- 004267 (Transport)D. 2023-24

/ BiharTransportDept /BiharTransport

सड़क सुरक्षा–जीवन रक्षा